न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 33/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायणराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी काशीपुरा तहसील जायल।		तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.03.20

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 375/2014 सरकार बनाम नारायणराम में निर्णय दिनांक 24.06.2015 के तहत मौजा काशीपुरा के खसरा नं. 1385 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.07.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण संख्या 375/2014 सरकार बनाम नारायणराम के फर्द अहकाम दिनांक 07.10.2014 से 29.06.2015 तक की आदेशिका की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 24.06.2015 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.14 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.15 की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 24.6.15 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 9.6.03 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा दिनांक 23.10.19 को मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका अपील के साथ ही निस्तारण करने का विनिश्चय करते हुए मूल अपील व प्रार्थना पत्र पर समग्र रूप से बहस सुनी गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–हाल खसरा नं. 1347 व 1401 की बीच मे राजस्व रेकर्ड मे कटाणी रास्ता जिस जगह दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर रेकर्ड मे दर्ज अनुसार न चलकर मौके पर पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक दुगोली की रिपोर्ट दिनांक 26.11.14 के अनुसार चलता है। दोनो खेतो के बीच रेकर्ड मे दर्ज कटाणी रास्ता न तो आज दिन मौके पर चालू है। न उक्त स्थान पर कभी रास्ता चला था। वर्तमान मे सरकार द्वारा इस रास्ते पर ग्रेवल सडक का निर्माण करवाया गया था तो पटवार ने मौके पर चल रहे रास्ते की जगह को ही चिन्हित किया था व रेकर्ड मे दर्ज कटाणी रास्ते पर सडक निर्माण नही कर मड्डिया सडक का निर्माण मौके पर चल रहे रास्ते पर ही किया गया हैं। जो आज दिन मौके पर मौजूद है। रेकर्ड मे दर्ज रास्ता पीढियो से कभी नही चला था। अपीलांट ने अपनी समझ समझाईश से उक्त रास्ता मौके पर बनी ग्रेवल सडक के स्थान पर ही गुजरता देखता आया है व उक्त रास्ता भी दोनो खेतो की भूमि मे से होकर ही गुजरता है। इसलिये रास्ता मौके पर नही चलने से व मौके पर अपीलांट की काबिल काश्त भूमि होने से व अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से उस जगह पर अपना एक होद व कमरे का निर्माण पुराना करवाया हुआ

अपर कलक्टर, नागौर

है। लेकिन खसरा नं. 1401 के खातेदार की नियत हमेशा अपीलांट की भूमि दबाने की रही है। जिसके चलते उसने अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने के लिये झूठी शिकायत कर गलत रिपोर्ट पटवारी से करवायी है। जबकि उसी पटवारी द्वारा महानरेगा के तहत बनायी सडक इसी रास्ते को कटाणी मानकर रिपोर्ट की है और महानरेगा के तहत यह नियमन व प्रावधान है कि सडक कटाणी रास्ते पर ही बननी चाहिये। इस प्रकार यदि अपीलांट का कोई अतिक्रमण माना जावे तो जहां सडक सरकारी योजना के तहत तहसीलदार के निर्देशन मे बनी है। वह गलत होगी, खातेदार के एक खेत मे से दो–दो रास्ते कायम नही किये जा सकते या तो रेकर्ड मे दर्ज कटाणी रास्ते पर सडक निर्माण करवाया जाना चाहिये था व रेकर्ड से हटकर चल रहे रास्ते की भूमि खातेदार को सुपुर्द की जानी चाहिये थी। मगर तहसीलदार भूमिधारी जिनको रेकर्ड की पूरी जानकारी हैं। उन्होने ऐसा नही कर अपीलांट के खेत मे ही सडक बना दी व अब दूसरी जगह रास्ता बताकर उसे सजा से दण्डित करने मे व खसरा नं. 1401 के खातेदार को नाजायज लाभ पंहुचाने की गरज से आदेश जैर अपील पारित करने मे भारी कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(III)–भू अभिलेख निरीक्षक दुगोली की रिपोर्ट दिनांक 26.11.14 मे वर्तमान मे रास्ता बिन्दु ए.बी. सी.जी.डी. के रूप मे चलता है। नक्शा अनुसार यह रास्ता बिन्दु ए.ई.जी.डी. के रूप मे लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान पर स्थित है। जिससे भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि रेकर्ड मे रास्ता गलत जगह दर्ज है। जबकि मौके पर इसी स्थान पर रास्ता चलता आया है। जो राजस्व कर्मचारी व अधिकारी भी मौके पर रास्ता चलना व सडक बनी होना स्वीकार कर रहे है। ऐसी स्थिति मे जब रास्ता चल रहा है तो किसी प्रकार का अतिक्रमण करने या अपीलांट को अतिक्रमी मानने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(IV)–पटवारी दुगोली की दिनांक 9.6.03 को सडक निर्माण हेतु मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पहुचे तो उस समय भी पटवारी ने पाया कि काशीपुरा के खेत खसरा नं. 1401 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा खातेदार भंवरलाल का खेत है व खसरा नं. 1347 नारायणराम/अपीलांट का खेत है। इन दोनो खेतो के बीच से काशीपुरा की ढाणियो से रताउ रोज के लिये कटाणी रास्ता गुजरता है। प्रार्थी ने इस कटाणी रास्ता से सडक निकालने की प्रार्थना की है। परंतु मौके अनुसार वर्तमान मे रास्ता खातेदार भंवरूराम के खेत की तरफ निकलता है और उन्होने अपनी रिपोर्ट मे पाया है कि मौके पर कटाणी रास्ता व वर्तमान मे चल रहे रास्ते मे भिन्नता है व उसकी मौका रिपोर्ट भी उसी दिन मौके पर तैयार की। वर्तमान मे मौके पर रास्ता भिन्न जगह चल रहा है। इसकी जानकारी होते हुए भी पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है व उसको सही मानकर व रेकर्ड एवं मौके की वास्तविक स्थिति अपने स्तर पर जांच नही कर आदेश जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(V)–उक्त रेकर्ड मे दर्ज कटाणी रास्ता रेकर्ड अनुसार अपीलांट के खेत से ही नही सभी खेतो मे रेकर्ड दर्ज कटाणी रास्ते से भिन्न जगह चलता है व ग्रेवल सडक भी बनी हुई है। लेकिन पटवारी ने किसी के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही नही की व अपीलांट को नाजायज क्षति पहुंचाने के लिये राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट को जेल मे डलवाने की नियत से झूठी कार्यवाही की है, मामला केवल मात्र रेकर्ड दुरूस्ती का है। मौके पर रास्ते का कोई विवाद नही है। जो स्वीकारसुदा तथ्य है। इसके अलावा अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से जिरह का अवसर दिये बिना तथा अपीलांट को बिना तारीख पेशी की सूचना किये। उसकी पीठ पीछे उसके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाकर ऐसा आदेश पारित किया है। जो विधिक आदेश की तारीफ मे नही आता है। विधि विरूद्व आदेश होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कटाणी रास्ता पर अपना कोई अतिक्रमण नही होना व मौके पर चालू होना कथन किया है। अगर अतिक्रमण मौका रिपोर्ट से माना भी जावे तो उक्त अतिक्रमण अपीलांट हटाने को तैयार होने का शपथ पत्र भी पेश किया था व रेकर्ड की जानकारी के अभाव मे रेकर्ड मे दर्ज कटाणी रास्ते पर अपीलांट का ईंटो का कमरा था। जो अपीलांट ने हटा भी लिया है। जिसकी रिपोर्ट मंगवाने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। लेकिन मौके पर अतिक्रमण नही होने व रास्ता खुला होने के बावजूद पटवारी बार बार झूठी शिकायते कर रहा है व बिना मौके पर कब्जा हुए अपनी गलती अपीलांट पर थोपते हुए अपीलांट को जेल मे डलवाने पर आमादा है। अगर अपीलांट का मौके पर अतिक्रमण हुए बिना सिविल कारावास भुगतना पडा तो अपीलांट के वैधानिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा, उसको

अपर कलक्टर, नागौर

अपूर्णीय क्षति होगी व न्याय की मंशा विफल होगी। ऐसी स्थिति मे भी आदेश जैर अपील हस्तक्षेप योग्य होने से हस्तक्षेप करते हुए अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का मौके पर वर्तमान मे कोई अतिक्रमण नही है तथा नाप चोप कर यदि अतिक्रमण बताया जाता है तो वो तत्काल हटाने को भी तैयार है। इस आशय का शपथ पत्र भी अपीलांट देने हेतु तत्पर रहेगा।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा काशीपुरा में स्थित रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके काशीपुरा के खसरा नंबर 1385 रकबा 0.07 बीघा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि मौके पर उसका कोई अतिक्रमण नही है तथा कटाणी रास्ता मौके पर चालू है तथा अधीनस्थ न्यायालय नाप चोप कर यदि अपीलांट का अतिक्रमण चिन्हित कर देते है तो वो तत्काल हटाने को तैयार भी है। इस आशय का शपथ पत्र भी दे सकते है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे सजा के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर अपील के तहत सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट आराजी भूमि पर अतिक्रमण हटा लेने/चिन्हित किये जाने पर तत्काल हटा लेगा व भविष्य मे आराजी भूमि व अन्य किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्णय की दिनांक से 15 दिन के भीतर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सत्यापन करवाया जावेगा। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो चिन्हित कर अतिक्रमी को बताया जावेगा। यदि वो तत्काल नही हटाता है तो आदेश जैर अपील के तहत सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावेगी। शेष बेदखली व जुर्माना वसूली का आदेश यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर